

# अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी (पाली)

बूरीमा

बनाम

ओराम

किस्म मुकदमा

नम्बर

63

सन् 18

अन्तर्गत धारा

53, 92(A), 188 RT Act

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
28/11/19	<p>वकील वादी उप। वकील वादी ने वार अन्तर्गत धारा 53, 92(A), 188 RT Act विषय प्रतिवादी पेश किया गया वॉद द्वारा रजिस्ट्रार लोकल प्रतिवादी जारी में समग्र तलब हो पत्रावली वारने जवाब दावा दिनांक 11/2/19 को पेश हो।</p>	ओराम
	<p>वकील वादी उप। वकील वादी ने जर्कीन-पत्र वाद विशेष हेतु उस्तुत करने पर पत्रावली दिनांक 11/2/19 से तलब कि जाकर आप पेश हुई। उस्तुत जर्कीन पत्र में वकील वादी ने जाहीर किया कि पक्षकारान के मध्य वाद में आपसी सहमति से बलीनामा हो गया है। वादी वाद की कार्यवाही आगे चलाना नहीं चाहता है। वाद को जर्कीने बलीनामा विशेष फरमावे। जारपत्र पर वादी मय आधिवक्ता सुना गया वादी मय उस्तुत जारपत्र के इस्तुत सुनाबिम वाद वादी जरीने विशेष खारीक किया जाना है। पत्रावली फेरतल सुमार लोकल नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
देसूरी (पाली)